केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्‍यालय संगठन (मु.)/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18 संस्थागत क्षेत्र/18INSTITUTIONAL AREA,
शहीद जीत सिंह मार्ग/SHAHEED JEET SINGH MARG,
नई दिल्ली – 110016/ NEW DELHI -110016
दूरभाष/TELEPHONE NO.: 26858570

फा.क्र.110238/2/2020/केविसं(मु)/बजट **दिनांकः** 18.03.2021

उपायुक्त/निदेशक,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/जीट

विषयः वेतन एवं भत्तों, वेतन एवं भत्तों के बकाया, सेवानिवृत्ति लाभों, निर्माण कार्यों और मरम्मत एवं रखरखाव के हेतु जारी राशि के उपयोग के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह उल्लेख करना है कि विद्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को वेतन एवं भत्तों, वेतन एवं भत्तों के बकाया, सेवानिवृत्ति लाभों, निर्माण कार्यों और मरम्मत एवं रखरखाव के हेतु ज्यादातर राशि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी की जा चुकी है और शेष राशि 25.03.2021 तक जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि-

i. निर्माण कार्य के लिये जारी की गई राशि संबंधित निर्माण प्राधिकरण (Construction Agency) को 31.03.2021 तक जमा करा दी गई है/ अवश्य कर दी जाएं।
ii. वेतन एवं भत्तों और वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि का भुगतान सभी संबंधित कर्मचारियों को 31.03.2021 से पहले कर दिया जाएं एवं इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेतन एवं भत्तों और वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई भी लंबित दावा 31.3.2021 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य लंबित भुगतान (स्थापना व्यय के अलावा) भी 31.03.2021 से पहले करना सुनिश्चित करें।
iii. सेवानिवृत्ति-लाभों (अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन संबंधित मामले) तथा बकाया राशि के लिये जारी की गई राशि का भुगतान सभी संबंधित कर्मचारियों को 31.03.2021 तक कर दिया जाएं। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में कोई भी लंबित दावा 31.3.2021 के बाद नहीं होना चाहिए। मार्च माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिये सेवानिवृत्ति लाभों की राशि भी 25.03.2021 तक मुख्यालय द्वारा जारी कर दी जाएगी।
iv. के.वि.सं. द्वारा स्कूल भवन और स्टाफ क्वार्टर के वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत और अन्य रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए जारी की गई राशि का उपयोग/जमा मार्च 2021 के अंत तक कर दिया जाएं।

2) यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि शिक्षकों या गैर-शैक्षिक कर्मियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि उनको वेतन एवं भत्तों, तथा अन्य दावों के लिये राशि धन अभाव के कारण नहीं जारी की जा रही है। इस संबंध में पुनः आग्रह है कि कर्मियों के सभी दावों (टी.ए./डी.ए./मेडिकल/एल.टी.सी./सी.ई.ए. इत्यादि) का भुगतान 31.03.2021 तक सुनिश्चित करें।

3) यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित है कि के.वि.सं. के पास इस वर्ष के लिए रेवेन्यू (Revenue) मद के लिए धनराशि का अभाव नहीं है। अतः आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्रीय कार्यालय एवं आपके अधिनस्थ विद्यालयों में सेवानिवृत्ति लाभों (अवकाश नकदीकरण सहित), वेतन एवं भत्तों के बकाया की कोई भी देनदारी जो वर्ष 2020-21 से संबंधित हो 31.03.2021 के उपरांत लंबित न रहे। इस संबंध में यदि किसी कर्मचारी के बकायों के भुगतान के लिये due drawn विवरण बनाना बाकी है तो तुरंत इसको बनाया जाए ताकि 31.3.2021 तक कर्मचारी को देय राशि प्राप्त हो सकें। अगर लंबित

मामला के.वि.सं. मुख्यालय के संज्ञान में आएगा तो मामले को उच्चतर अधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु रखा जाएगा।

4) यदि उपरोक्त भुगतान/उपयोग करने के पश्चात् भी यदि विद्यालय के पास रू.5000/- से अधिक तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पास रू.50,000/- से अधिक राशि शेष बचती है तो तुरंत इस राशि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के खाते में 30.03.2021 तक निम्न विवरण के अनुसार जमा करें:-

खाते का नामः	केन्द्रीय विद्यालय संगठन फंड खाता Kendriya Vidyalaya Sangathan Fund A/C
खाता संख्याः	1098101032877
IFSC Code:	CNRB0001098

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के खाते में जमा की गई राशि की सूचना ईमेल तथा टेलीफोन के माध्यम से/वाट्सऐप मैसेज से तुरंत सहायक आयुक्त (वित्त)/बजट) को दे ताकि 30 मार्च 2021 से पहले इस राशि का उपयोग किया जा सके।

भवदीय,

18.3.2021

(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपिः-

1. सभी वित्त अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, के.वि.सं.।
2. सहायक आयुक्त (वित्त-रोकड़), के.वि.सं. मु., नई दिल्ली।
3. वित्त अधिकारी (रोकड़/पेंशन), के.वि.सं. मु., नई दिल्ली।
4. सहायक आयुक्त (एस एंड एस)/(प्रशिक्षण)/स्थापना-1 को इस निवेदन के साथ कि वे वर्ष 2020-21 से संबंधित सभी दावों को भुगतान हेतु वित्त विभाग को 25.03.2021 तक प्रेषित करें।
5. उपायुक्त (ई.डी.पी.) को को इस निवेदन के साथ कि वे वर्ष 2020-21 से संबंधित सभी दावों को भुगतान हेतु वित्त विभाग को 25.03.2021 तक प्रेषित करें, साथ ही इस पत्र की एक प्रति के.वि.सं. मु. के वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. के.वि.सं. के सभी मान्यता प्राप्त संघ।